मृत ग्राहकों के दावे के निपटान के लिए आवेदन-पत्र

(निवासी/अनिवासी के लिए लागू)

मृत ग्राहकों के खातों में शेष के भुगतान, सुरक्षित जमा लॉकर और सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुओं के लिए आवेदन करने संबंधी अनुदेश। यह नामांकन या उत्तरजीविता शर्त वाले संयुक्त खाता दावों के लिए लागू नहीं है।

1. कृपया मृतक का नाम और मृत्यु की तारीख का उल्लेख करें। यदि व्यक्ति गुमशुदा/लापता (अर्थात व्यक्ति का 7 वर्ष से अधिक से अता-पता न हो और न्यायालय द्वारा कानूनी मृत्यु/मृत्यु की उपधारणा का एक आदेश/प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो) जब से गुमशुदा है उस तारीख का उल्लेख किया जाए।

2. मृतक के सभी जमा खातों के साथ साथ ऋण/ओवरड्राफ्ट खातों का भी उल्लेख किया जाए। दावे की वास्तविक राशि की गणना भुगतान की तारीख को उपचित ब्याज के साथ की जाएगी। इसी तरह, मृतक के सुरक्षित जमा लॉकर और सुरक्षित अभिरक्षा खाते का ब्योरा/रसीद संख्या दी जाए।

3. चिह्नित करें कि क्या दावा कानूनी प्रतिनिधित्व (व्यक्ति की निर्वसीयत मृत्यु हुई) के बिना या कानूनी प्रतिनिधित्व (अर्थात वसीयत/उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र/प्रशासन-पत्र) के साथ किया गया है। इसकी प्रति संलग्न की जाए। कानूनी प्रतिनिधित्व के मामले में, बिंदु 5 में उल्लिखित स्वतंत्र (गैर-संबद्ध) व्यक्ति से कोई घोषणा-पत्र अपेक्षित नहीं है, सिवाय लाभार्थी के केवाईसी/उचित पहचान-पत्र के।

4. (क) से (च)- मृतक का ब्योरा दिया जाना है। मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रति और मूल प्रति सत्यापन के लिए प्रस्तुत की जाए। मृतक की परिसंपत्तियों का निपटान जमाकर्ता पर लागू उसके व्यक्तिगत उत्तराधिकार कानून (हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या कोई अन्य समुदाय) के अनुसार उसके कानूनी वारिसों को किया जाएगा।
(छ) सभी कानूनी वारिसों का ब्योरा आयु और पते के साथ दिया जाए। अंतिम कॉलम में उन वारिसों के लिए 'हाँ' का उल्लेख किया जाए जो विधिवत स्टाम्पित और निष्पादित दावात्याग पत्र (अनुलग्नक-क के अनुसार) प्रस्तुत कर रहे हैं। अन्यथा, 'नहीं' (ज) अवयस्क कानूनी वारिसों के नाम का नैसर्गिक/कानूनी संरक्षक के नाम के साथ उल्लेख किया जाए। यदि कानूनी संरक्षक नियुक्त किया गया है तो उस नियुक्ति आदेश की एक प्रति अवश्य संलग्न की जाए।

5. घोषणा-पत्र पर मृतक के परिवार के परिचित किसी स्वतंत्र (गैर-संबद्ध) व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए जो मृतक का संबंधी न हो और बैंक को स्वीकार्य हो या किसी बैंक के खाताधारक द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए जो मृतक के परिवार के परिचित हो या किसी सरकारी व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए जिसे बैंक द्वारा सत्यापित किया जा सकता हो। यदि शेष राशियों के दावे की राशि प्रारंभिक सीमा से अधिक हो तो घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को किसी 'न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट/नोटरी' के समक्ष शपथ-पत्र (अनुलग्नक-ख के अनुसार) निष्पादित करना होगा। इस शपथ-पत्र को संबंधित राज्य में लागू स्टाम्प अधिनियम के अनुसार स्टाम्पित किया जाएगा। कानूनी प्रतिनिधित्व के मामले में यह घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।

6. जमानतदारों (स्योरिटीज़) की मलकीयत जानने के लिए एक अलग फॉर्म (अनुलग्नक-घ) में ब्योरेवार जानकारी देनी होगी। ऐसे जमानतदार (स्योरिटीज़) जो मृतक के संबंधी हैं उन्हें स्वीकार किया जा सकता है बशर्ते वे सीधे दावेदार न हों और जिन्हें दावे की राशि के लिए व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से पर्याप्त माना जा सके। यदि किसी एक जमानतदार को बैंक द्वारा पर्याप्त माना जाता है तो दूसरे जमानतदार की आवश्यकता नहीं होगी। जमानतदारों को दावेदारों के साथ संलग्न प्रारूप (अनुलग्नक-ग) के अनुसार क्षतिपूर्ति-पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। क्षतिपूर्ति-पत्र को संबंधित राज्य में लागू स्टाम्प अधिनियम के अनुसार स्टाम्पित करना होगा।

7. इस पर उन सभी दावेदारों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए जिन्होंने संलग्न प्रारूप (अनुलग्नक-क) के अनुसार 'दावात्याग-पत्र' प्रस्तुत कर उस संपत्ति में अपने अधिकार का त्याग नहीं किया है और इसे संबंधित राज्य में लागू स्टाम्प अधिनियम के अनुसार स्टाम्पित किया जाए।
(कृपया नोट करें कि दावेदारों को रसीद पर हस्ताक्षर करने होंगे कि उन्हें दावे की राशि प्राप्त हो गई है, यदि राशि का भुगतान बैंकर चेक द्वारा किया जा रहा हो)।

8. **अनिवासी जमाकर्ता/दावेदार के लिए**

क) यदि जमाकर्ता अनिवासी है और उसकी मृत्यु विदेश में हुई है तो मृत्यु प्रमाण-पत्र निम्नलिखित में से किसी द्वारा अनुप्रमाणित/प्रमाणित होने पर ही दावे के निपटान हेतु स्वीकार किया जाएगा:

i) उस देश के नोटरी पब्लिक।

ii) उस देश में स्थित भारतीय दूतावास/उच्चायोग

iii) बैंक के विदेश स्थित कार्यालय (जहां कहीं स्थानीय विनियमों के अनुसार अनुप्रमाणन संभव/स्वीकार्य हो)

iv) भारत में स्थित उस देश के दूतावास/उच्चायोग

कोई मृत्यु प्रमाण-पत्र तभी स्वीकार किया जाएगा जब उसके साथ संपोषक साक्ष्य स्वरूप मृत्यु की पुष्टि करने वाला निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज संलग्न होगा:

i. खातेदार की मृत्यु के कारण विदेशी केंद्र पर किसी बीमा राशि के दावे के निपटान का कोई साक्ष्य

ii. खातेदार की मृत्यु के कारण विदेशी केंद्र पर बैंक खातों से प्राप्त होने वाली राशियों के निपटान का कोई साक्ष्य

iii. खातेदार की मृत्यु के कारण विदेशी केंद्र पर नियोक्ता द्वारा सेवांत लाभों के निपटान कोई साक्ष्य। परंतु, नियोक्ता का एक सरकारी/बहुपक्षीय संगठन होना आवश्यक है।

iv. विदेशी केंद्र पर किसी अस्पताल या स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों द्वारा प्रदत्त मृत्यु का कोई साक्ष्य

तथापि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इनमें से कोई भी दस्तावेज उसी देश से जारी किया जाता है, जहां से मृत्युक प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

ख) यदि दावेदार (अनिवासी भारतीय या विदेशी राष्ट्रिक) जो विदेश में रहते हैं और उनके लिए यह संभव नहीं है कि वे औपचारिकताओं की पूर्ति के लिए भारत आ सकें-

i) बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों के अधिकारियों की उपस्थिति में विदेश में दस्तावेज निष्पादित करें।

ii) भारतीय दूतावास के अधिकारियों की उपस्थिति में दस्तावेज निष्पादित करना। उक्त दस्तावेज भारत में पहुंचने के बाद स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान के लिए स्टाम्प प्राधिकारियों को प्रस्तुत किए जाएं।

iii) दावेदार उचित कानूनी प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए अपना अटर्नी नियुक्त कर सकता है और शपथ-पत्र, क्षतिपूर्ति-पत्र, जमानत आदि द्वारा भुगतान प्राप्त कर सकता है। इसकी कार्यविधि यह है कि दावेदार को वैध मुख्तारनामा निष्पादित करना चाहिए जिस पर भारतीय दूतावास के अधिकारियों द्वारा अधिप्रमाणन किया गया हो।

ग) मृत अनिवासी खातेदार की परिसंपत्तियों का निपटान कानूनी वारिसों को जमाकर्ता के लिए लागू उनके निजी उत्तराधिकार कानून (हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या कोई अन्य समुदाय) के अनुसार किया जाना चाहिए। भले ही दावेदार निवासी भारतीय, अनिवासी भारतीय, भारतीय मूल के व्यक्ति या कोई विदेशी राष्ट्रिक हों। (फिर भी, यदि कोई न्यायालय आदेश/कानूनी प्रतिनिधित्व प्राप्त किया जाता है तो प्राप्य राशियों का निपटान न्यायालय के आदेशानुसार किया जाना चाहिए। यदि किसी विदेश स्थित न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है तो आनुषंगिक आदेश/पुनर्मुद्रांकन भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 228 के अंतर्गत भारतीय न्यायालय से प्राप्त किया जाना चाहिए।

घ) विदेशी राष्ट्रिकों को क्षतिपूर्ति-पत्र प्राप्त करते समय जमानतदारों (स्योरिटीज़) के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि उन पर भारतीय कानून लागू नहीं होगा।

ङ) कानूनी प्रतिनिधित्व के मामले में-

i) वसीयतनामा भारतीय न्यायालय द्वारा प्रोबेट किया गया -जैसे निवासी भारतीयों के मामले में किया जाता है।

ii) वसीयतनामा विदेशी न्यायालय द्वारा प्रोबेट किया गया - विदेशी न्यायालय द्वारा जारी वसीयत की सम्यक रूप से अधिप्रमाणित प्रति भारत के न्यायालयों में प्रस्तुत की जाएगी जो तत्पश्चात प्रशासन-पत्र जारी कर सकते हैं।

iii) भारतीय न्यायालय द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र/विरासत प्रमाण-पत्र/प्रशासन-पत्र-लाभार्थियों के केवाईसी/उचित पहचान-पत्र के अलावा कोई अतिरिक्त समुचित सावधानी (ड्यू डिलिजेंस) नहीं की जानी चाहिए।

iv) विदेशी न्यायालय द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र/विरासत प्रमाण-पत्र/प्रशासन-पत्र-

क) यदि किसी व्यतिकारी राज्यक्षेत्र (जैसे राजपत्र में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है) के उच्चतर न्यायालय द्वारा जारी किया गया है तो दावेदारों को प्रमाण-पत्र के निष्पादन के लिए भारत में सक्षम जिला न्यायालय से मंजूरी लेनी होगी।

ख) यदि किसी व्यतिकारी राज्यक्षेत्र के उच्चतर न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया गया है तो दावेदार को सूचित किया जाना चाहिए कि वह विदेशी न्यायालय द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके अलग से एक नया प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए भारत में सक्षम जिला न्यायालय के समक्ष एक आवेदन करे।

v) यदि उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र में उस बैंक खाते का उल्लेख नहीं किया गया है जिसके लिए दावा किया जा रहा है-इसे कानूनी प्रतिनिधित्व के बिना किए गए दावे के रूप में माना जाएगा और इस पर तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।

9. दावे की राशि के आधार पर दावे का वर्गीकरण : प्रारंभिक सीमा तक दावे की राशि (मूल+ब्याज) के लिए दस्तावेज अलग और प्रारंभिक सीमा से अधिक दावे की राशि के लिए अलग होंगे। प्रारंभिक सीमा संबंधित बैंक द्वारा सूचित की जाएगी। दावे की राशि की गणना अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त करने के लिए भुगतान की तारीख को की जाएगी।

10. गुमशुदा व्यक्ति : प्रारंभिक सीमा (संबंधित बैंक द्वारा सूचित की जाएगी) तक दावे वैध मृत्यु प्रमाण-पत्र के 'बिना स्वीकार किए जाएंगे। न्यूनतम एक वर्ष की अवधि से गुमशुदा सूचित व्यक्तियों के संबंध में ऐसे सभी दावे निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर निपटाए जाएंगे-

1. एफआईआर 2. पुलिस प्राधिकारियों द्वारा जारी लापता रिपोर्ट 3. दावेदार से क्षतिपूर्ति-पत्र

गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में दावे प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि के लिए वर्तमान अनुदेशों के अनुसार अर्थात सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त करने के बाद निपटाए जाएंगे।

11. सुरक्षित जमा लॉकर : मृतक के विधिक प्रतिनिधि को खोलने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे मामलों में मृत्यु प्रमाण-पत्र और विधिक प्रतिनिधित्व का प्रमाण प्राप्त किया जाएगा। कानूनी प्रतिनिधित्व प्रोबेट या प्रशासन-पत्र के रूप में होगा।

12. दावा फॉर्म के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची : प्रारंभिक सीमा तक के दावे

मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रति

दावेदार/सभी दावेदारों/कानूनी वारिसों, घोषणा-पत्र या शपथ-पत्र और जमानतदार(रों) के फोटोग्राफ और केवाईसी।

दावात्याग-पत्र (विधिवत स्टाम्पित और नोटरीकृत) अनुलग्नक-क, क्षतिपूर्ति-पत्र (विधिवत स्टाम्पित) अनुलग्नक-ग

दावेदारों से प्राप्त रसीद (बैंकर्स चेक जारी करके किए गए भुगतान)

13. प्रारंभिक सीमा से अधिक के दावे के लिए अतिरिक्त दस्तावेज

शपथ-पत्र (विधिवत स्टाम्पित और नोटरीकृत) अनुलग्नक-ख

जमानतदार(रों) की अभिमत रिपोर्ट अनुलग्नक-घ

14. सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा

सुरक्षित लॉकर की वस्तुओं की सूची का फॉर्म (अनुलग्नक-ङ)

सुरक्षित अभिरक्षा में छोड़ी गई वस्तुओं की सूची का फॉर्म (अनुलग्नक-च)

सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा/सीलबंद बक्सों में रखी वस्तुओं की सुपुर्दगी से संबंधित क्षतिपूर्ति-पत्र (अनुलग्नक-छ)

मृत ग्राहकों के खातों की शेष राशि के भुगतान, सुरक्षित जमा लॉकर एवं सुरक्षित अभिरक्षा की वस्तुओं के लिए मृत ग्राहकों के दावों के निपटान का आवेदन फार्म। नामांकन अथवा उत्तरजीविता शर्त वाले संयुक्त खातों के दावे के लिए इस फॉर्म का उपयोग नहीं किया जाएगा।
(निवासी/अनिवासी के लिए लागू)

बैंक :

सेवा में

शाखा प्रबन्धक,

शाखा :

पत्र व्यवहार हेतु पता

श्री/श्रीमती/कुमारी _____

पता : _____

_____

संपर्क (दूरभाष सं) : _____

ई-मेल पता : _____

दिनांक : _____

महोदया/प्रिय महोदय,

स्वर्गीय श्री/श्रीमती/कुमारी _____ जिनकी मृत्यु _____ को हुई, के खाते (तों) की शेष राशि के भुगतान एवं सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं की सुपुर्दगी के लिए दावा

मैं/हम सूचित करते हैं कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ जिनकी मृत्यु _____ को हुई, _____ से गुमशुदा हैं/अता पता नहीं है।

2. स्वर्गीय श्री/श्रीमती/कुमारी _____ के निम्नलिखित खाते/सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा वस्तुएँ आपकी शाखा में हैं :

क्रमांक	जमाराशि का प्रकार	खाता संख्या	राशि *	परिपक्वता दिनांक	बैंक के प्रति यदि कोई देनदारी है/हैं तो वह/वे किस प्रकार की है/हैं	राशि
1.						
2.						
3.						
4.						
	कुल राशि				**कुल राशि**	

*(उपचित ब्याज के साथ दावे की वास्तविक राशि की गणना भुगतान की तारीख को की जाएगी)

ख. सुरक्षित जमा लॉकर संख्या _____ धारिता का प्रकार _____

ग. सुरक्षित अभिरक्षा वस्तु रसीद संख्या _____

वस्तुओं का विवरण : _____

३. मैं/हम उपचित ब्याज सहित उपर्युक्त नाम वाले मृतक की उपर्युक्त राशियों/सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा की वस्तुओं के लिए निम्नलिखित **(जो भी लागू हो, उसका चयन करें)** के अनुसार अपना/हमारा दावा प्रस्तुत करता/करती हूँ/करते हैं :

☐ स्वर्गीय श्री/श्रीमती/कुमारी _____ के दिनांक _____ का वसीयतनामा तथा _____ स्थित _____ न्यायालय द्वारा दिनांक _____ को मंजूर प्रोबेट **(प्रतियाँ संलग्न)**

☐ _____ स्थित _____ न्यायालय द्वारा जारी किया गया दिनांक _____ का उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र **(प्रति संलग्न)**।

☐ _____ स्थित _____ द्वारा जारी किया गया दिनांक _____ का प्रशासन-पत्र **(प्रति संलग्न)**।

☐ वसीयत के बिना मृतक की मृत्यु हुई। मैं/हम बैंक के नियमों एवं विवेकाधिकार के अनुसार भुगतान हेतु बिना किसी कानूनी प्रतिनिधित्व के अपना दावा प्रस्तुत करता/करती हूँ/करते हैं।

4. मैं/हम इस संबंध में मृतक के बारे में अपेक्षित सूचना नीचे दे रहा/रही हूँ/दे रहे हैं: -

(क) मृत्यु की तारीख एवं स्थान _____

(ख) ब्योरा मृत्यु प्रमाण-पत्र संख्या _____ दिनांक _____ को प्राधिकरण _____ द्वारा जारी (प्रति संलग्न) (सत्यापन के लिए मूल प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए)

(ग) आयु _____ वर्ष

(घ) वैवाहिक स्थिति - विवाहित/अविवाहित/विधवा (विधुर)

(ङ) स्थायी पता -

मकान/फ्लैट नंबर _____ गली का नाम _____ स्थान/गाँव _____

शहर/जिला _____ राज्य _____ पिन _____

(च) धर्म _____ कौनसा उत्तराधिकार कानून लागू है _____ (हिंदू, मुस्लिम आदि)

(छ) मृतक के कानूनी वारिसों के नाम, संबंध एवं आयु :

क्रमांक	नाम	आयु	संबंध	पता	क्या दावात्याग-पत्र निष्पादित किया जा रहा है (हाँ/नहीं)

(ज) दावेदारों में से अवयस्क (स्कों) एवं नैसर्गिक संरक्षक (कों)/अवयस्कों के कानूनी संरक्षक (कों) का/के नाम।

क्रमांक	अवयस्क दावेदार (रों) का नाम	जन्म तिथि	संरक्षक का नाम	अवयस्क के साथ संबंध	क्या दावात्याग-पत्र निष्पादित किया जा रहा है (हाँ/नहीं)

5. श्री/श्रीमती/कुमारी _____ अर्थात नीचे घोषणा करने वाले व्यक्ति द्वारा शपथ-पत्र (अनुलग्नक-ख) हमारे परिवार को पिछले _____ वर्षों से जनता है और यह हमारे परिवार से संबंधित नहीं है।

मैं मृतक एवं उसके परिवार को पिछले _____ वर्षों से जानता/जानती हूँ। उपर्युक्त नाम वाले व्यक्ति (यों) मृतक का/के एकमात्र कानूनी वारिस है/हैं जो मृतक की संपत्ति प्राप्त करने का/के हकदार है/हैं। मैं किसी भी तरह से मृतक अथवा उपर्युक्त 4 (च) से (छ) में उल्लिखित किन्हीं व्यक्तियों से संबंधित नहीं हूँ। मृतक की संपत्ति में न तो मेरा दावा है न ही किसी भी प्रकार का हित।

मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त तथ्य सत्य और सही हैं।

घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पूरा नाम और पता _____

_____

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर

6. हम निम्नलिखित जमानतदार के नाम का प्रस्ताव करते हैं: (प्रारंभिक सीमा तक की राशियों के लिए किसी जमानतदार की जरूरत नहीं।)

क्रमांक	जमानतदार का नाम	पता	निवल मूल्य (अनुलग्नक-घ के अनुसार)

7. मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि मेरी/हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए तथ्य सत्य और सही हैं।

आज की तारीख तक प्रयोज्य ब्याज सहित निपटान की गई दावे की राशि के लिए बैंकर चेक जारी किया जाए/राशि _____ पुत्र _____ के नाम पर भारत के _____ बैंक की _____ शाखा में खोले गए खाते में अंतरण/आरटीजीएस/एनईएफटी के जरिए जमा की जाए।

दावेदार (रों) का/के हस्ताक्षर जो राशि/सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुएँ प्राप्त करेगा/करेगी/करेंगे

क्रमांक	दावेदार का नाम	हस्ताक्षर

स्थान : _____

दिनांक : _____

संलग्नक : यथोपरि

ध्यान रहे : इस आवेदन पत्र में पूर्ण विवरण न होने पर दावे के निपटान में होने वाले किसी भी विलंब के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है तथा कानूनी वारिसों के बीच विवाद होने और वे सभी बैंक की क्षतिपूर्ति करने के लिए तैयार न होने अथवा जहां बैंक को मृतक ग्राहक के एकमात्र वारिस होने के बारे में दावेदार (रों) की सच्चाई के बारे में संदेह हो तो, बैंक कानूनी प्रतिनिधित्व की मांग कर सकता है।

(दिया गया स्थान अपर्याप्त होने पर कृपया अतिरिक्त कागज का इस्तेमाल करें।)

कार्यालयीन उपयोग के लिए

अनुशंसा :

दावेदारों द्वारा किए गए दावे के बारे में मैंने आवश्यक पूछताछ की और इस बात से संतुष्ट हूँ कि दावे का निपटान किया जा सकता है। बैंक के वर्तमान अनुदेशों* के अनुसार जमानत माफ (प्रारंभिक सीमा तक की राशियों के लिए)* की जाती है /दी गई जमानत (तें) स्वीकार्य है(हैं)। सभी आवश्यक दस्तावेज़ प्राप्त किए गए हैं। दावेदारों को दावे का भुगतान किया जा सकता है।

* (लागू न होने पर काट दें)

कोई अन्य टिप्पणी :

स्थान : _____

दिनांक : _____

हस्ताक्षर

नाम :

पदनाम :

(अनुशंसाकर्ता प्राधिकारी)

मंजूरी :

दावेदार(रों) को स्वर्गीय _____ के खातों से _____ (रुपए _____) का भुगतान करने/ सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा की वस्तुएँ सुपुर्द करने के लिए मंजूरी दी जाती है।

स्थान : _____

दिनांक : _____

हस्ताक्षर

नाम :

पदनाम :

(मंजूरीकर्ता प्राधिकारी)

संवितरण एवं अभिलेखीकरण :

☐ बैंकर चेक संख्या _____ दिनांक _____ के जरिए ₹ _____ (रुपए _____) का भुगतान किया गया और रसीद प्राप्त की गई।

☐ _____ शाखा में खोले गए दावेदार के खाता संख्या _____ में जमा की गई और दावे के निपटान के तहत संबंधित प्रविष्टि वाले खाता विवरण की प्रति रिकार्ड के तौर पर रखी गई।

☐ आरटीजीएस/एनईएफटी के जरिए दिनांक _____ के यूटीआर संख्या _____ द्वारा भारत के _____ बैंक की _____ शाखा में खोले गए दावेदार के खाता संख्या _____ में राशि जमा की गई और दावे के निपटान के तहत इलेक्ट्रानिक अंतरण जमा की पावती की प्रति रिकार्ड के तौर पर रखी गई।

☐ सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा खाते की वस्तुएँ/रसीद दावेदार को सुपुर्द की गई और दावे के निपटान के तहत पावती को रिकार्ड के तौर पर रखा गया।

इस दावे के निपटान से संबंधित सभी दस्तावेजों को शाखा के अभिलेख में रखा गया है।

स्थान : _____

दिनांक : _____

हस्ताक्षर

नाम :

पदनाम :

(संवितरणकर्ता प्राधिकारी)